99

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2269—तीन/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 13—09—2006 के द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 661/निग0/2005—06

.....

1— हीरालाल तनय मंगलदीन(मृतक) वारिसान—

1. अश्वनी पुत्र स्व0 श्री हीरालाल
2. अरूण पुत्र स्व0 श्री हीरालाल
3. संतोष पुत्र स्व0 श्री हीरालाल
4. कुबेर पुत्र स्व0 श्री हीरालाल
5. श्रीमती लीलावती बेवा स्व0 श्री हीरालाल
6. प्रतिभा पत्नी रामप्रसाद पुत्री स्व0 श्री हीरालाल

निवासीगण—ग्राम मुड़ियारी, तहसील सिरमौर
जिला—रीवा(म0प्र0)

2— रमेश्वर प्रसाद तनय मंगलदीन
निवासी—ग्राम मुड़ियारी, तहसील सिरमौर
जिला—रीवा(म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— गुरूप्रसाद तनय रामकिशोर
निवासी—ग्राम मुड़ियारी, तहसील सिरमौर
जिला—रीवा(म0प्र0)

2— स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश

.....अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 14-11-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–09–2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम मुड़ियारी स्थित विवादित भूमि खसरा क्रमांक 256 रकबा 1.50 डि0, खसरा क्र0 257 रकबा 1.00 डि0, खसरा क्र0 328 रकबा 0.92 डि0 एवं खसरा क्र0 394 रकबा 1.90 डि0 जो की शासकीय भूमि है का व्यवस्थापन अपने नाम किये जाने हेतु आवेदन पत्र नायब तहसीलदार सिरमौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार सिरमौर ने दिनांक 22.08.83 से आवेदकगण के पक्ष में व्यवस्थापन का आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष प्रथम प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 315/ए–19/2003–04 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 22.08.05 से नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार की गई तथा प्रकरण इस निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये विधिसम्मत आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। जहॉ अपर कलेक्टर ने दिनांक 10.08.2006 से आवेदकगण की निगरानी को बलहीन मानकर निरस्त किया तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित प्रत्यावर्तन आदेश को यथावत रखा। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 661/निग0/2005–06 में दिनांक 13.09.2006 से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित मानते हुये स्थिर रखा है तथा निगरानी निरस्त की है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अनावेदक के पिता तथा आवेदक का कब्जा दर्ज होता रहा है, इसलिये अनावेदक हितबद्ध पक्षकार था। आवेदकगण के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन अपने पक्ष में किये जाने हेतु आवेदन पत्र नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होने पर नायब तहसीलदार ने अनावेदकगण को न तो पक्षकार बनाया और न ही उन्हें पक्ष समर्थन का ही अवसर दिया ही गया है, जबकि अनावेदकगण हितबद्ध पक्षकार थे। हितबद्ध पक्षकार को बिना सुने उसके विरूद्ध आदेश पारित करना न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत है और इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रत्यावर्तित किया है जिसमें कोई अनियमितता प्रकट नहीं होती। अपर कलेक्टर रीवा एवं अपर आयुक्त रीवा ने भी अपने विस्तृत आदेश में पूर्ण विवेचना कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर